डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–रमेश देव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 602/2022

1. विमला पत्नी मदनलाल जाति छिम्पा साकिन वार्ड नं. 22 नजदीक गणेशम मंदिर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. संतोष पत्नी हंसराज जाति छिम्पा साकिन वार्ड नं. 22 नजदीक गणेशम मंदिर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादी

बनाम्

1 सरस्वती पत्नी पवन कुमार जाति छिम्पा साकिन वार्ड नं. 22 नजदीक गणेशम मंदिर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ रमेश देव आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री रामनिवास बेदी वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री संजीव वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती हैः– कि **वादी सं. 1 विमलादेवी** के हक व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः–चक 3 आरटीपी (प्रथम) खाता सं. 50/42 प.न.191/172 मु.न. 08 किला न. 7/0.021, 8/0.013, 13/0.240, 14/0.013 कुल 0.287 है. व**ादी सं. 2 संतोष** के हक व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः– प.न.191/172 मु.न. 08 किला न. 3/0.143, 4/0.143 कुल 0.286 है. **प्रतिवादी सं. 1 सरस्वती** के हक व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः– प.न. 191/172 मु.न. 08 किला न. 3/0.110, 4/0.059, 7/0.093, 8/0.025 कुल 0.287 है. खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी सं. 1, 2 व प्रतिवादी सं 1 का उक्तानुसार खाता अलग कर रकम राज अलग से करने के आदेश दिये जाते है

नोटः– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.....×.....नल.....×.....मुब्लिक.....×.....निल.....×.....बाबत्.....×.....निल.....×.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....×.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 28/12/2022 को जारी किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः—**रमेश देव** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—602 / 2022

वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः— 53 आरटीए

1 विमला पत्नी मदनलाल जाति छिम्पा साकिन वार्ड नं. 22 नजदीक गणेशम मंदिर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

2 संतोष पत्नी हंसराज जाति छिम्पा साकिन वार्ड नं. 22 नजदीक गणेशम मंदिर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

— वादी

बनाम्

1 सरस्वती पत्नी पवन कुमार जाति छिम्पा साकिन वार्ड नं. 22 नजदीक गणेशम मंदिर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

2 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :—

1. श्री रामनिवास बेदी — वादी
2. श्री संजीव बिश्नोई — प्रतिवादी सं. 1
3. राजपैरोकार — प्रतिवादी सं. 2

निर्णय दिनांक 28 / 12 / 2022

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार चक 3 आरटीपी (प्रथम) अंतिम चौसाला आधार संवत 2073—76 के खाता सं. 50 / 42 खाता विमलादेवी आदि के कुल साझा खाता 0. 860 है. नहरी में से वादीया सं. 1 व 2 का 2 / 3 हिस्सा यानि प्रतिवादीया सं. 1 के समान बहिब दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबंदी राजस्व रिकार्ड संलग्न वादपत्र है।

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कुल साझा खाता कि कृषि भूमि को लेकर वादीयागण व प्रतिवादीगण सं. 1 के बीच अर्सा दराज पूर्व घरू बंटवारा हो चुका है। घरू बंटवारा रारजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरचित प्रावधानों के ध्यान में रखकर किया गया है। घरू बंटवारा में अच्दी मन्दी भूमि का ध्यान रखा गया है। तथा रास्ता खाला की सुविधा अनुसार भूमि का विभाजन किया गया है। घरू विभाजन में वीयागण प्रतिवादी सं. 1 के हिस्सा में आई कब्जा काश्त की भूमि का विवरण निम्नप्रकार है—

वादी सं. 1 विमलादेवी के हक व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः—

चक 3 आरटीपी (प्रथम) खाता सं. 50 / 42

प.न. 191 / 172 मु.न. 08 किला न. 7 / 0.021, 8 / 0.013, 13 / 0.240, 14 / 0.013 कुल 0.287 है.

वादी सं. 2 संतोष के हक व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः—

चक 3 आरटीपी (प्रथम) खाता सं. 50 / 42

प.न. 191 / 172 मु.न. 08 किला न. 3 / 0.143, 4 / 0.143 कुल 0.286 है.

प्रतिवादी सं. 1 सरस्वती के हक व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः—

चक 3 आरटीपी (प्रथम) खाता सं. 50 / 42

प.न. 191 / 172 मु.न. 08 किला न. 3 / 0.110, 4 / 0.059, 7 / 0.093, 8 / 0.025 कुल 0.287 है.

उपर्युक्त कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं 1 की घरू बंटवारानामा के रोज से शांतिपूर्ण बिना किसी बाधा के कब्जा काश्त चली आ रही है। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नहीं है।

यह है कि वादीगण मौका पर वाद पत्र की चरण सं. 2 के अनुसार वाद चरण 3 अनुसार घरू बंटवारा हो चुका है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में कब्जा अनुसार विभाजन न होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर बुरा असर पडता है व रकम राज वाटरमेंट शुल्क आदि राज्य सरकार को अदा करने में कठिनाईया आती है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा काहा की आप विवाद ग्रस्त आराजी का वादीगण का दावा की चरण सं. 3 अनुसार कृषि भूमि की विभाजन होना मान लो तो प्रतिवादीगण पहले तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे अंत में पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादी की बात मानने से कतई तौर पर इन्कार हो गय यही वादी का कारण है।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई प्रतिवादी सं. 1 ओर से अधिवक्ता संजीव बिश्नोई ने वकालतनामा व इकबालदावा पेश किया। प्रतिवादी सं. 2 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया। वादी ने शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया। वकील प्रतिवादी ने निवेदन किया कि साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करना चाहते है। अतः साक्ष्य प्रतिवादी बंद किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। बहस वकील वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 सुनी गई। वादीगण एव प्रतिवादी सं. 1 इकबाल दावा से स्पष्ट है तथा कब्जा काश्त या अन्य कोई विवाद प्रतीत नहीं होता है। प्रश्नगत आराजी पर वादीगण पूर्व से घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज है न्यायालय के मत में दोनो पक्षों में कोई विवाद नहीं है अतः तनकीयात की भी आवश्यकता नहीं है। वादीगण वाद की दफा 3 अनुसार विभाजन डिक्री करवाने के अधिकारी है। वादीगण वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि चक **वादी सं. 1 विमलादेवी** के हक व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः–चक 3 आरटीपी (प्रथम) खाता सं. 50/42 प.न.191/172 मु.न. 08 किला न. 7/0.021, 8/0.013, 13/0.240, 14/0.013 कुल 0.287 है. व**ादी सं. 2 संतोष** के हक व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः– प.न.191/172 मु.न. 08 किला न. 3/0.143, 4/0.143 कुल 0.286 है. **प्रतिवादी सं. 1 सरस्वती** के हक व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः– प. न. 191/172 मु.न. 08 किला न. 3/0.110, 4/0.059, 7/0.093, 8/0.025 कुल 0.287 है. कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है इसी अनुसार खाता अलग से कायम करने के आदेश दिये जाते है। रकम राज अलग से कायम हो। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 28/12/2022 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

नोटः– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official